



Neutral Citation No. - 2026:AHC:8818

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 12622 वर्ष 2025

उद्देश पालआवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यविपक्षी पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता : चंद्र भूषण प्रसाद, धीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता : अंकुर त्यागी, शा.अधि., शुभम

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद-सूची की पुनः पुकार कराई गई है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री धीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव, सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता श्री शुभम जादौन, राज्य के विद्वान अपराध शासकीय अधिवक्ता श्री अरुण कुमार मिश्रा को सुना गया तथा अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया गया।
3. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 385 वर्ष 2024, धारा 103 B.N.S., थाना कोतवाली, जिला मुजफ्फरनगर में जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि आवेदक का नाम एफआईआर में नहीं है और उसका नाम पहली बार एक वासिम अहमद और मोहम्मद नईम के बयान में आया है, जिनके समक्ष आवेदक और सह-अभियुक्त ने कथित रूप से अपराध का न्यायेतर संस्वीकृति की।
5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा है कि उक्त साक्षी के घर से प्राप्त सीसीटीवी फुटेज से भी यह इंगित होता है कि आवेदक और सह-अभियुक्त व्यक्ति घटनास्थल पर गए और मात्र 03 मिनट की अवधि में वापस आ गए, जिससे यह कहा गया है कि आवेदक ने मृतक व्यक्ति को बाजार की छत से धकेल दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई, जो बाजार की छत पर मदिरापान में संलिप्त था।
6. विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि उक्त साक्षियों के बयान लगभग चालीस दिनों की देरी से दर्ज किए गए क्योंकि उनके बयान दिनांक 3.11.2024 को दर्ज किए गए हैं, जो झूठे फंसाने की बात स्पष्ट रूप से कहती है। यह मामला तात्कालिक उत्तेजना की श्रेणी में आ सकता है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



और हत्या की श्रेणी में नहीं आता। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक 27.8.2024 से जेल में है और वह विचारण में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

7. इसके विपरीत, सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का इस आधार पर बलपूर्वक विरोध किया है कि यह एक स्पष्ट मामला है क्योंकि आवेदक एवं सह-अभियुक्त व्यक्ति को बाजार की छत पर जाते और 03 मिनट की अवधि में वापस आते देखा गया था, अतः उन्होंने उक्त अपराध किया जो पूर्व नियोजित था क्योंकि घटना से एक दिन पहले उनका मृतक व्यक्ति से विवाद हुआ था।
8. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के पश्चात और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक और अन्य सह-अभियुक्त व्यक्ति को सीसीटीवी फुटेज में घटनास्थल की ओर जाते देखा गया था, मैं इसे आवेदक को जमानत देने का उचित मामला नहीं मानता।
9. जमानत आवेदन गुणहीन पाया गया है और तदनुसार अस्वीकार किया जाता है।
10. तथापि, यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित उक्त मामले को यदि कोई विधिक बाधा न हो तो सर्वोच्च न्यायालय के विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य; 2015 (3) SCC 220 तथा हुसैन एवं अन्य बनाम भारत संघ; (2017) 5 SCC 702 के मामलों में निर्धारित हालिया निर्णयों के सिद्धांत के दृष्टिगत शीघ्रता से निर्णीत किया जाए।
11. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां को गई टिप्पणियां केवल जमानत आवेदन के निस्तारण के संबंध में पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुणदोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल) 13 जनवरी, 2026 विकास वर्मा

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"